

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक / मान्यता / 712-13 / 2018-19 दिनांक 27-4-18

प्रबन्धक,
डी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल
सै0-1 बिसरख नोएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय व लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 29.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2018-2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने व लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तब आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसायटी/विद्यालय किसी कॅपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा -
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी, कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	=	500 वर्ग गज
कुल निर्मित क्षेत्र	=	400 वर्ग गज
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	=	100 वर्ग गज
कक्षाओं की संख्या	=	14
प्राध्यापक-सहकार्यालय- सहभण्डागार के लिए कक्षा	=	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	=	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	=	उपलब्ध है।
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई	=	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	=	उपलब्ध है।
अध्यापन पठन पाठन सामग्री/क्रीडा खेल कूद, उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	=	उपलब्ध है।

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **G.J.H.S- 431** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।

17- स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्तें

9

- (क) प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
- (ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।
- (ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेशन, ग्रेज्युटी, बीमा, पीओफो तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रबन्धाधिकरण के समक्ष अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा।
- 18- शुल्क मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हों। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:-
- 1-शिक्षण शुल्क, 2-महंगाई शुल्क 3-विकास शुल्क 4-बिजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6-विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8-क्रीडा शुल्क, 9-परीक्षा/मूल्यांकन, 10- विद्यालय समारोह/उत्सव, 11-विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर/संगीत आदि।
- 19- शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश/विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।
- 20- प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राज्ञात यदि किसी प्रकार से फर्जी/कूटचिह्न/मिथ्या पाये जाते हैं तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ-साथ प्रबन्धक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(बालमुकुन्द प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पृ0सं0 / बे0शि0 / /2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर।

(बालमुकुन्द प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र(Fire & Life Safety Certificate)

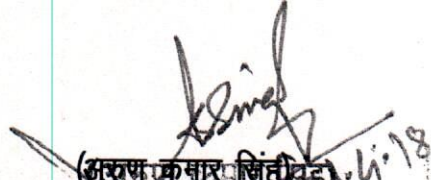
यू0आई0डी0 संख्या-2017 / 3551 / जीबीएन / गौतमबुद्धनगर / 7431 / डीडी
दिनांक:14.04.2018

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स डी0एस0 इन्टरनेशनल (नर्सरी)स्कूल, 452, ग्राम विसरख, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर, जिसमें तलों की संख्या:भूतल+01 तल एवं बेसमेण्ट की संख्या शून्य है। जिसकी ऊँचाई 08.00मीटर तथा प्लॉट एरिया-805.35वर्गमीटर है। भवन का अधिभोग मैसर्स डी0एस0 इन्टरनेशनल (नर्सरी)स्कूल द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक:19.04.2018 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री दिनेश भाटी के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire & Life Safety Certificate) एन0बी0सी0 की श्रेणी बी, शैक्षिक के अन्तर्गत वैधता तिथि 14.04.2018 से 14.04.2021 तक 03 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सतत क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

पत्रांक: 180492 /सीएफओ/जीबीएन-18

निर्गत किये जाने का दिनांक: 14.04.2018

स्थान-कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।


(अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाणित)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: प्रतिलिपि:निम्नांकित को शासनादेश संख्या: 1765/छ-पु0-8-2017-905(34)/2016 गृह(पुलिस) अनुभाग-8, दिनांक:16.02.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मैसर्स डी0एस0 इन्टरनेशनल (नर्सरी)स्कूल, 452, ग्राम विसरख, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

2-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु प्रेषित।

कार्यालय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

गौतमबुद्धनगर ।

पत्रांक / बे०शि० / 15841-43 / 2020-21

दिनांक 27-3-2021

कार्यालय जाप

प्रबन्धक, डी० एस० इंटरनेशनल स्कूल सै०-1 बिसरख नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2021 द्वारा उक्त विद्यालय की मान्यता को स्थाई करने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक / मान्यता / 712-13 / 2018-19 दिनांक 27.04.2018 द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की मान्यता "शैक्षिक सत्र 2018-2019 से तीन वर्ष की अवधि हेतु अनंतिम रूप से प्रदान की गयी थी। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 15 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है-

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमवाली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है तथा नवीन शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्राविधानित किया गया है कि एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर० टी० ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष पश्चात विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त दोनों शासनादेश एवं डी० एस० इंटरनेशनल स्कूल सै०-1 बिसरख नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रार्थना के साथ उपलब्ध कराये गये नवीनतम अभिलेखों के आधार पर डी० एस० इंटरनेशनल स्कूल सै०-1 बिसरख नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर जिसका मान्यता कोड संख्याक जी०जे०एच०एस० - 431 है, की मान्यता को शासनादेशानुसार स्थाई माना जायेगा एवं भविष्य में पत्रांक / मान्यता / 712-13 / 2018-19 दिनांक 27.04.2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों / मानकों का अनुपालन एवं शासन द्वारा जारी किये गये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर ।

पृ० सं० / बे०शि० /

/ 2020-21 उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. प्रबन्धक, डी० एस० इंटरनेशनल स्कूल सै०-1 बिसरख नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

(संजय कुमार उपाध्याय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर ।